

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर।

प्रेस विज्ञप्ति

मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या:-1590/एस.एल.एस.ए.-5/2002 (हैदर) 2002 दिनांकित 25.05.2026 के अनुपालन में स्थाई लोक अदालत जनपद सीतापुर में आशुलिपिक के 01 पद पर नियुक्ति हेतु जनपद न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो को संविदा के आधार पर एक निश्चित मानदेय पर 02 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, तक के लिए नियुक्त किया जाना है:-

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	मानदेय प्रतिमाह
1	आशुलिपिक	01	9000/-

आवेदन पत्र में निम्नांकित सूचनाएँ उल्लिखित होना चाहिए:-

1. आवेदित पद का नाम.....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
3. जन्म तिथि-(अंको में).....शब्दों में.....
4. पिता/पति का नाम.....
5. मोबाइल/दूरभाष संख्या.....
6. सेवा निवृत्ति की तिथि.....
7. कार्यालय का नाम एवं किस पद से सेवानिवृत्त है.....
.....
8. स्थाई पता.....
9. वर्तमान पता.....
10. शैक्षिक योग्यता.....

आवेदक का
पासपोर्ट साइज
नवीनतम फोटो

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री..... एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित उपरोक्त सभी विवरण मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य व सही है। मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद न तो लम्बित है और न ही मैं किसी आपराधिक वाद में दोष सिद्ध हुआ हूँ। मैं स्वेच्छा से स्थाई लोक अदालत जनपद सीतापुर में अनुबन्ध पर कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। सूचना गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक:

आवेदक/आवेदिका के पूर्ण हस्ताक्षर

अर्हताएं/निर्देश

1. आवेदक आशुलिपिक के पद पर जनपद न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय से सेवानिवृत्त हुआ हो।
2. उपरोक्त पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्ति की जानी है।
3. शैक्षिक योग्यता/अनुभव प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र एवं सेवा निवृत्त के सम्बन्ध में जो भी अभिलेख अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के पास हो, उनकी स्वतः प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।
4. सम्बन्धित आवेदन पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/दीवानी न्यायालय सीतापुर में दिनांक: 30.07.2026 तक व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीतापुर।